



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-20072020-220580
CG-DL-W-20072020-220580

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 18—जुलाई 24, 2020 (आषाढ़ 27, 1942)
No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 18—JULY 24, 2020 (ASADHA 27, 1942)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची		पृष्ठ सं.	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	441	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	463	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	7	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1129	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	805
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	69
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	755
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

1—151 GI/2020

(441)

CONTENTS

Page No.	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)
441	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)
463	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence
7	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India
1129	805
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs
*	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners
*	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies
*	69
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies
*	755
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi
	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई 2020

संकल्प

सं. 5(2)-बी(पी.डी.)/2020—आम जानकारी के लिए यह घोषित किया जाता है कि वर्ष 2020-2021 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 1 जुलाई, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 तक 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) होगी। यह दर 1 जुलाई, 2020 से लागू होगी। संबंधित निधियां निम्नलिखित हैं:—

1. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं)।
 2. अंशदायी भविष्य निधि (भारत)।
 3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि।
 4. राज्य रेलवे भविष्य निधि।
 5. सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं)।
 6. भारतीय आयुध विभाग भविष्य निधि।
 7. भारतीय आयुध कारखाना कामगार भविष्य निधि।
 8. भारतीय नौसेना गोदी कामगार भविष्य निधि।
 9. रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि।
 10. सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि।
2. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अंजना वशिष्ठ
निदेशक (बजट)

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई 2020

संकल्प

सं. वाई-11015/5/2020-एलपी—भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय के अधीन भारतीय चिकित्सा भेषजसंहिता प्रयोगशाला (पीएलआईएम), गाजियाबाद और होम्योपैथिक भेषजसंहिता प्रयोगशाला (एचपीएल), गाजियाबाद दोनों अधीनस्थ कार्यालयों और भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग, गाजियाबाद, एक स्वायत्त संगठन का विलयन करके एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में

भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेजसंहिता आयोग (पीसीआईएमएंडएच) गठित करने का निर्णय लिया है। पीएलआईएम एवं एचपीएल आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय और पीसीआईएमएंडएच एक स्वायत्त संगठन होने के कारण इनको बंद किया जाता है और एक सामान्य प्रशासनिक नियंत्रण के साथ आयुष मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में पीसीआईएमएंडएच की स्थापना करने के लिए इनका विलयन किया जाता है।

2. इस विलय का उद्देश्य तीनों संगठनों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं, तकनीकी श्रमशक्ति और वित्तीय संसाधनों के उपयोग को ईष्टतम बनाना है ताकि उनके प्रभावी विनियमन और गुणवत्ता नियंत्रण के दृष्टिकोण से आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों के मानकीकरण परिणामों को बढ़ाया जा सके। इस विलयन से आयुष औषधों के मानकीकरण पर ध्यान केंद्रित करने और सम्बद्ध विकास के साथ भेजसंहिता और फार्मूलरियों के प्रकाशन में सुविधा मिलेगी।

3. आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधों के परीक्षण के लिए अपीलीय प्रयोगशाला के रूप में मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेजसंहिता आयोग (पीसीआईएमएंडएच) को कानूनी स्थिति प्रदान की जाएगी तथा एक निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधों के लिए एसयूडीटीएबी तथा होम्योपैथी के लिए डीटीएबी के साथ परामर्श करके औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 में आवश्यक संशोधन करते हुए सक्षम प्रावधान बनाये जायेंगे।

4. आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में भारतीय चिकित्सा भेजसंहिता प्रयोगशाला (पीएलआईएम), होम्योपैथी भेजसंहिता प्रयोगशाला (एचपीएल) दोनों अधीनस्थ कार्यालयों और भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेजसंहिता आयोग, एक स्वायत्त संगठन की भूमि, भवनों, उपस्कर, मौजूदा स्वीकृत पदों और नियमित कार्मिकों सहित सभी परिसम्पत्तियां "जहां हैं जैसी हैं आधार पर" आयुष मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय, भारतीय चिकित्सा, एवं होम्योपैथी भेजसंहिता आयोग (पीसीआईएमएंडएच) को अंतरित कर दी जाएगी। पीसीआईएमएंडएच (एक स्वायत्त संगठन) के मौजूदा नियमित कार्मिकों को आयुष मंत्रालय के अधीन स्थापित एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेजसंहिता आयोग में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का दर्जा दिया जाएगा। इन कर्मचारियों को कोई भी अतिरिक्त सेवा लाभ विशेष रूप से पेंशन/भविष्य निधि आदि जो स्वीकार्य नहीं हैं, नहीं दिए जाएंगे। पद के विलय और पदानुक्रमित संरचना के पुनःसंरक्षण को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों और नामकरण, वेतनमान, वेतन स्तर और संबंधित भर्ती नियमों के संदर्भ में अन्य मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। किसी भी मामले में उच्चतर अथवा उच्च वेतनमान नहीं दिया जाएगा।

5. पीसीआईएमएंडएच के विलयन के पश्चात उसके पास भेजसंहिता कार्य में क्षमता और परिणामों की प्राप्ति को बढ़ाने, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधों के भेजसंहिता मानकों में सामंजस्य बढ़ाने के प्रयासों में सफलता प्राप्त करने, औषध मानकीकरण कार्यों के दोहराव और अतिव्याप्ति को रोकने तथा संसाधनों का प्रभावी रूप में ईष्टतम उपयोग करने हेतु एक यथेष्ट प्रशासनिक संरचना होगी।

पी. एन. रणजीत कुमार
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 13th July 2020

RESOLUTION

No. 5(2)-B(PD)/2020—It is announced for general information that during the year 2020-2021, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 7.1% (Seven point one percent) w.e.f. 1st July, 2020 to 30th September, 2020. This rate will be in force w.e.f. 1st July, 2020. The funds concerned are:

1. The General Provident Fund (Central Services).
 2. The Contributory Provident Fund (India).
 3. The All India Services Provident Fund.
 4. The State Railway Provident Fund.
 5. The General Provident Fund (Defence Services).
 6. The Indian Ordnance Department Provident Fund.
 7. The Indian Ordnance Factories Workmen's Provident Fund.
 8. The Indian Naval Dockyard Workmen's Provident Fund.
 9. The Defence Services Officers Provident Fund.
 10. The Armed Forces Personnel Provident Fund.
2. Ordered that the Resolution be published in Gazette of India.

ANJANA VASHISHTHA
Director (Budget)

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA & NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA,
SOWA-RIGPA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

New Delhi, the 6th July 2020

RESOLUTION

No. Y-11015/5/2020-LP—Government of India has decided to establish Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine & Homoeopathy (PCIM&H) as a subordinate office by merging Pharmacopoeia Laboratory for Indian Medicine (PLIM), Ghaziabad and Homoeopathic Pharmacopoeia Laboratory (HPL), Ghaziabad both subordinate offices and Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine & Homoeopathy, Ghaziabad, an autonomous organization under Ministry of AYUSH. PLIM & HPL being the subordinate offices and PCIM&H an autonomous organization under Ministry of AYUSH stands wound up and merged to establish PCIM&H as a subordinate office under Ministry of AYUSH with a common administrative control.

2. The merger is aimed at optimizing the use of infrastructural facilities, technical manpower and financial resources of the three organizations for enhancing the standardization outcomes of Ayurveda, Siddha, Unani and Homoeopathy drugs towards their effective regulation and quality control. This merger will facilitate focused and cohesive development of standards of AYUSH drugs and publication of pharmacopoeias and formularies.

3. Legal status for testing of Ayurveda, Siddha, Unani and Homoeopathy drugs as appellate laboratory will be accorded to Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine & Homoeopathy (PCIM&H), a subordinate office under Ministry of AYUSH by making necessary amendments and enabling provisions in the Drugs & Cosmetics Rules, 1945 in consultation with ASUDTAB for Ayurveda, Siddha and Unani Drugs and DTAB for Homoeopathy by following stipulated procedure.

4. All assets including land, buildings, equipment, existing sanctioned posts and regular employees of Pharmacopoeia Laboratory for Indian Medicine (PLIM), Homoeopathic Pharmacopoeia Laboratory (HPL) both subordinate offices and Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine & Homoeopathy an autonomous organization under the aegis Ministry of AYUSH will be transferred to Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine & Homoeopathy (PCIM&H), a subordinate office under Ministry of AYUSH "as is where is basis. The existing regular employees of PCIM&H (an autonomous organisation) shall be given the status of central government employees in the established Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine & Homoeopathy (PCIM&H) a subordinate office under the Ministry of AYUSH. No any extra service benefits especially pension/ Provident Fund etc. will be given to these employees which are not admissible. The

post-merger re-alignment of the posts and hierarchical structure shall be undertaken in accordance with Department of Personnel Training guidelines and other extant guidelines in terms of nomenclature, pay-scale, pay-level and corresponding recruitment rules. No upgraded or higher scales will be given in any case.

5. Post-merger PCIM&H will have adequate administrative structure under the Ministry to strive for augmenting the capacity and outcomes of pharmacopoeial work, achieving harmonization of pharmacopoeial standards of Ayurveda, Siddha, Unani and Homoeopathy drugs, preventing duplication and overlapping of drug standardization work and optimal utilization of resources in effective manner.

P.N. RANJIT KUMAR
Joint Secretary